

महिलाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सुषमा

सहायक प्रवक्ता इतिहास, राजकीय महाविद्यालय भिवानी

भूमिका

घर की प्यारी मुस्कान – बेटियों,
ईश्वर का वरदान – बेटियों,,
छोड़ चले आँगन बाबुल का,
संग ले जाती जान – बेटियों।।
इन्दिरा का आकार बेटियों,
सीता का अवतार बेटियों,,
झॉंसी की रानी का प्रतिबिम्ब,
नूरजहाँ का शृंगार – बेटियों।।

भारत में महिलाओं की स्थिति ने पिछली कुछ सदियों में कई बड़े बदलावों का सामना किया है। प्राचीन काल में पुरुषों के साथ बराबरी की स्थिति को लेकर तो मध्ययुगीन काल के निम्न स्तरीय जीवन और साथ ही कई सुधारकों द्वारा समान अधिकारों के बढ़ावा दिए जाने तक, भारत में महिलाओं का इतिहास काफी गतिशील रहा है। आधुनिक भारत में महिलाएँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री लोक सभा अध्यक्ष प्रतिपक्ष की नेता आदि जैसे शीर्ष पदों पर आसीन हुई हैं।

विद्वानों का मानना है कि प्राचीन भारत में महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ बराबरी का दर्जा हासिल था। कुछ विद्वानों का नजरिया इसके विपरीत था। पंतजलि और कात्यायन जैसे प्राचीन भारतीय व्याकरणविदों का कहना है कि प्रारम्भिक वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी, ऋग्वेद और उपनिषद जैसे ग्रंथ कई महिला साध्वियों और संतों के बारे में बताते हैं, जिसमें गार्गी और मैत्रेयी के नाम उल्लेखनीय हैं। धीरे-धीरे बाद में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आनी शुरू हो गई थी। बाबर एवं मुगल साम्राज्य के इस्लामी आक्रमण के साथ और इसके बाद ईसाइयत ने महिलाओं की आजादी और अधिकारों को सीमित कर दिया। जैन धर्म जैसे सुधारवादी आंदोलनों में महिलाओं को धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होने की अनुमति दी गयी है बाल विवाह की प्रथा छठी शताब्दी के आस पास शुरू हुई थी, 18 वीं शताब्दी की दशा अच्छी नहीं थी, दहेज प्रथा की बुराई ने उनकी दशा को और भी बर्तार बना दिया था।

जिन पर कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं—

“ कितनी गीता गंगा माँ गोदी में सो जाती है,
कितनी सीता रेल पटरियों पर लहु बहा जाती है।
कौन कुएँ में कूद गई कौन गिरी मिनारों से,
कौन गिनेगा इनकी संख्या रोज रंगे अखबारों से।।”

समाज में सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसे अनेक बुराईयाँ थी, राजस्थान के रजापूतों में जौहर की प्रथा थी, रजिया सुल्ताना दिल्ली पर शासन करने वाली एकमात्र महिला सम्राज्ञी बनी। चांद बीबी ने 1590 के दशक में अकबर की शक्तिशाली मुगल सेना के खिलाफ अहमदनगर की रक्षा की। शिवाजी की माँ जीजाबाई को एक योद्धा बौर एक प्रशासक के रूप में स्थापित हुई।

दक्षिण भारत में भी महिलाओं ने गाँवों, शहरों और जिलों पर शासन किया और धार्मिक संस्थानों की शुरुआत की। भक्ति आंदोलन में मीराबाई सबसे चर्चित संत रही, इसी प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ समाज में कुप्रथाएँ थी वहीं दूसरी तरफ कुछ महिलाओं ने अपनी उपस्थिति को दर्शाया, अनेक प्रथाएँ ऐसी थी जिसने महिलाओं की स्थिति को अतीत में बदतर बना दिया था जो इस प्रकार हैं—

ऐतिहासिक प्रथाएं

कुछ समुदायों में सती, जौहर और देवदासी जैसी परम्पराओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और आधुनिक भारत में ये काफी हद तक समाप्त हो चुकी हैं। कुछ समुदायों में भारतीय महिलाओं द्वारा पर्दा प्रथा को आज भी जीवित रखा गया है और विशेषकर भारत के वर्तमान कानून के तहत एक गैर कानूनी कृत्य होने के बावजूद बाल विवाह की प्रथा आज भी प्रचलित है जैसे –

सती

सती प्रथा एक प्राचीन और काफी हद तक विलुप्त रिवाज है। कुछ विधवाओं को अपने पति की चिता में ही जलना पड़ता था। 1829 में अंग्रेजों ने इसे समाप्त कर दिया। 1987 में राजस्थान की रूपकवर का मामला सती प्रथा अधिनियम का कारण बना।

जौहर

जौहर का मतलब सभी हारे हुए (सिर्फ राजपूत) योद्धाओं की पत्नियों और बेटियों के शत्रु द्वारा बंदी बनाये जाने और इसके बाद उत्पीडन से बचने के लिए स्वैच्छिक रूप से अपनी आहुति देने की प्रथा है, मराठा महिलाएं भी अपने योद्धा पति की युद्धभूमि में पूरा साथ देती रही हैं।

पर्दा

पर्दा महिलाओं के क्रियाकलापों को सीमित कर देता है, यह आजादी से मिलने-जुलने के उनके अधिकार को सीमित करता है। और यह महिलाओं की अधीनता का एक प्रतीक है।

देवदासी

देवदासी दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में एक धार्मिक प्रथा है। जिसमें देवता या मंदिर के साथ महिलाओं की "शादी" कर दी जाती है। कहीं-कहीं यह आज भी देखने को मिलता है।

सुधार

अंग्रेजी शासन के दौरान राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले आदि जैसे कई सुधारकों ने महिलाओं के उत्थान के लिए लड़ाईयाँ लड़ीं। 1829 में गवर्नर जनरल विलियम बैंटिक के तहत राजा राममोहन राय के प्रयास सती प्रथा के उन्मूलन के कारण बने। विधवाओं की स्थिति को सुधारने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संघर्ष का परिणाम विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 के रूप में सामने आया। कई महिला सुधारकों जैसे की पंडिता रमाबाई ने भी महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य को हासिल करने में मदद की। झॉंसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के भारतीय विद्रोह का झंडा बुलंद किया। भोपाल की बेगमों ने भी इस अवधि की कुछ उल्लेखनीय महिला शासिकाओं में शामिल थीं। उन्होंने पर्दा को नहीं अपनाया और मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण भी लिया। 1927 में अखिल भारतीय महिला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन पुणे में किया गया था। 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से बाल विवाह निवोध अधिनियम को पारित किया गया। भारत में 15 वर्षों तक इंदिरा गाँधी प्रधानमंत्री के रूप में थी जो एक महिला ही थीं।

हिंसा सभी समाजिक, आर्थिक और शैक्षिक कक्षाओं में, दुनिया भर में महिलाओं के लाखों के जीवन को प्रभावित करता है। यह समाज में पूरी तरह से भाग लेने के लिए महिलाओं के अधिकार बाधा, सांस्कृतिक और धार्मिक बाधाओं को पार कटाती। महिलाओं के खिलाफ हिंसा बाल विवाह और महिला खतना करने के लिए घरेलू उत्पीडन और बलात्कार से रूपों की एक **Dismaying** किस्म लेता है, सभी सबसे बुनियादी मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। महिला बच्चों की संख्या चिंताजनक है और वर्तमान में पुरुष महिला अनुपात 1000 पर खड़ा है :-

हरियाणा पंजाब और दक्षिणी समेत कुछ उत्तरी राज्यों में 800 है। महिलाओं के लिए 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है।

निष्कर्ष

इस प्रकार हम देखते हैं कि समय समय पर महिलाओं की दशा में परिवर्तन आया है। कहीं बराबरी का दर्जा है तो कहीं उसे भेदभाव का सामना करना पड़ता है। रजिया सुल्तान, झॉंसी की रानी, इंदिरा गाँधी, सराजनी नायडू, कल्पना चावला, किरण बेदी ऐसी महिलाएँ जिन्होंने सारी दुनिया के सामने यह दिखाया की नारी भी किसी से कम नहीं है। वे हर प्रकार की जिम्मेवारी सम्भालने में सक्षम हैं। कुछ पंक्तियों के माध्यम से इसको व्यक्त किया जा सकता है—

बेटियों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। जिससे समाज में जागृति आ रही है।

“ नही बेटों से कहीं कम बेटियाँ,
आगे रही हर दम बेटियाँ ।।
तकदीर को अपनी बदलने का,
खुद रखती है दम बेटियाँ ।।”
“बेटों से ना तो बेटियाँ,
समझो है अनमोल बेटियाँ ।।
मुझको आने दो धरती पर,
सदा ये बोल बोले बेटियाँ ।।”

संदर्भ

- [1]. प्रतियोगिता साहित्य सीरिज
- [2]. मध्यकालन भारत सतीश चन्द्र